

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर  
प्रार्थी : श्रीमती छगनी  
किस्म मुकदमा – 53 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री लोगर  
पत्रावली संख्या : 165/07

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 04.12.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली से पत्र क्रमांक राजस्व/2019/1233 दिनांक 18.06.19 से रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीयां व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हो गई हैं, तथा अन्य खातेदारों द्वारा भूमि संपरिवर्तन करा आराजी नम्बर 217 जो नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज हो चुकी हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण खातेदार नहीं रहे है तथा भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः वादीयां का वाद इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षय गोदारा IAS) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

